उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

संख्या- 2/2017/वे0आ0-2-04/दस-2017-69(सामान्य)/2010टी0सी0

लखनऊ: दिनांक 03 जनवरी, 2017

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि " वित्त वेतनमान (नियमावली एवं विधि) प्रकोष्ठ" में पुनर्नियुक्ति पर कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ परामर्शदाताओं, (वेतनमान रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/-) एवं विशेष कार्याधिकारी, (वेतनमान रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/-) को उनकी पुनर्नियुक्ति की समाप्ति के उपरान्त उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतन समिति के कार्यकाल अथवा सेवायें समाप्त किये जाने, जो भी पहले हो तक, के लिये निम्नानुसार प्रतिमाह नियत मानदेय के आधार पर नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:--

क्र0सं0	नाम/ पदनाम	नियत मानदेय की धनराशि
1-	सुश्री शाहीना परवीन, वरिष्ठ परामर्शदाता	रू0 45000=00
2-	श्री राम आसरे दिवेदी, वरिष्ठ परामर्शदाता	रू0 45000=00
3-	श्री शिव शंकर सिंह, विशेष कार्याधिकारी	रू0 40000=00

अजय अग्रवाल

सचिव।

<u>प0सं0-2/2017/वे0आ0-2-04(1)/दस-2017-69(सामान्य)/2010, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1- महालेखाकार, प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, पेंशन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- सचिव, वित्त (वेतन आयोग)।
5- लेखाकार-कम-कोषाध्यक्ष, वेतन समिति (दो प्रतियॉ)।
6- सम्बन्धित अधिकारी।
7- विभागीय आदेश पुस्तिका।
8- राज्य सम्पत्ति अनुभाग-2

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी

संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in